

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक : एफ 7 (4) अकाद/आकाशि / प्रवेश नीति / 2021-22 / 67

दिनांक : 16/06/21

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु राज्य में संचालित राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु प्रवेश नीति तैयार की जानी है। इस हेतु एक ऑनलाईन मिटिंग दिनांक 22 एवं 23 जून 2021 को प्रत्येक दिवस प्रातः 10.30 बजे से आयोजित की जायेगी, जिसमें प्रवेश समितियों के सुझाव (स्नातक व स्नातकोत्तर) व सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित अध्यादेश पर विचार-विमर्श किया जायेगा। इस ऑनलाईन मिटिंग में निम्नलिखित सूची अनुसार, नोडल अधिकारी/पीटीआई को अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ आवश्यक रूप से सम्मिलित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। इस मिटिंग का ऑनलाईन लिंक <https://rajasthan-gov.webex.com/meet/sandeeplanawat> है:-

क0स0	नाम	महाविद्यालय का नाम
01	डॉ0 देशराज	एल0बी0एस0 राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली
02	डॉ0 सुमेरसिंह बैरवा	राजकीय महाविद्यालय, राजगढ, (अलवर)
03	डॉ0 महेश गुप्ता	एम0एस0जे0राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर
04	डॉ0 अमिताभ बसु	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
05	डॉ0 अर्चना सहारे	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
06	डॉ0 सत्यदेव	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ (अजमेर)
07	डॉ0 अजय चौधरी	मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
08	डॉ0 मनोज पाण्ड्या	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाडा
09	डॉ0 हरिराम परिहार	राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर
10	डॉ0 अनूकुमार शर्मा	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
11	डॉ0 अतुल गर्ग	राजकीय बांगड महाविद्यालय, डीडवाना
12	डॉ0 अनिल कुमार शर्मा	राजकीय महाविद्यालय, टपूकडा (अलवर)
13	डॉ0 अरविन्द महला	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर
14	श्री देवेन्द्र परमार (पीटीआई)	राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर
15	श्री जगदीश सैनी (पीटीआई)	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर
16	श्री चन्द्रजीत सिंह	राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा
17	डा0 कोमल कात्याल	राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल
18	डॉ0 शोभा सिंह	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ

rah
(संदेश नायक)
आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।
दिनांक :

क्रमांक : एफ 7 (4) अकाद/आकाशि / प्रवेश नीति / 2021-22 /
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
2. प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

Gur
(डा0 सामित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक, अकादमी